ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 231-232**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

समन्वित सामुदायिक विकास आयोजन

डॉ0 संजू चतुर्वेदी

भूगोल, महावीर कालोनी, परिखरा– बलिया (उ0प्र0) भारत

Received- 02.03.2022, Revised- 10.03.2022, Accepted - 09.03.2022 E-mail: tanishkshekhar@gmail.com

सारांशः – बलिया जनपद गांवों को जनपद है, परन्तु ग्रामीण जनता के जीवन में अभी भी अंधकार है। यहाँ गरीबी, बेकारी, भाग्यवादिता और रूढ़िवादिता का बोलबाला है। जनपद की प्रगति उसके ग्रामों की प्रगति पर ही निर्भर करती है। इस प्रगति के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण जनता का संगठन किया जाय और उसे सहकारी परियोजनाओं के महत्व को समझाया जाय। जनता को शिक्षित बनाया जाय और अनुसंधान एवं उत्पादन की नवीन विधियां तथा सुविधाएं प्राप्त करायी जाय तथा उसका सर्वांगीण विकास किया जाय। जनपद में सामुदायिक विकास परियोजना इस कार्य में अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकती है।

कुंजीभूत शब्द– ग्रामीण जनता, अंधकार, गरीबी, बेकारी, भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता, अनुसंधान, उत्पादन।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन के सम्पूर्ण स्तर को ऊँचा उठाने हेतु स्थानीय मानव शक्ति को क्रियाशील बनाने का एक संयुक्त और समन्वित प्रयत्न है।

सामुदायिक विकास एक एकीकृत कार्यक्रम है, जो ग्रामीण जीवन के समस्त पक्षों को प्रभावित करता है और जो सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन पर लागू है, बिना धर्म एवं जाति से सम्बन्धित तथा बिना सामाजिक व आर्थिक अन्तरों को ध्यान में रखते हुए।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सामुदायिक विकास ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के रूपान्तरण की एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा पहल की जाती है और सरकार को प्राविधिक मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

बलिया जनपद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक सभी पहलुओं को व्यापक रूप में प्रभावित करता है। इसके क्षेत्र में कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन–निर्माण आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम नियोजित किये जाते हैं

1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्य– जनपद के सामुदायिक विकास योजना में कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्यों को स्थान दिया गया है। इन कार्यों में परती और नयी भूमि को कृषि योग्य बनाना, कृषि के हेतु सिंचाई की व्यवस्था करना, उत्तम बीजों और खाद आदि का आयोजन करना, उन्नत खेती हेतु नवीन औजारों की व्यवस्था करना, पशुओं की दशा सुधारने हेतु प्रयास करना, विपणन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना, सहकारी समितियों की स्थापना करना, मिश्रित खेती के विकास का प्रयास करना, प्राकृतिक एवं कम्पोस्ट खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन देना तथा सहकारिता आन्दोलन के विकास को प्रोत्साहन देना आदि सम्मिलित किया गया है।

2. सहायक उद्योगों का विकास– जनपद की ग्रामीण अर्द्ध–बेकारी को दूर करने हेतु ग्रामीण लघु एवं कुटीर धन्धों की भी सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। ये उद्योग स्थानीय प्रसाधनों पर आधारित होंगे एवं आंशिक बेकारी को दूर कर ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में सहायक हो सकेंगे।

3. यातायात की व्यवस्था– अध्ययन क्षेत्र के सामुदायिक विकास योजनाओं में यातायात से सम्बन्धित कार्यों की व्यवस्था करना आवश्यक हैं उनके अन्तर्गत गांव को पक्की सड़क द्वारा मण्डी केन्द्रों से मिलाना मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार की सड़कें एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आधे मील तक लम्बी होगी तथा उनका निर्माण ग्रामीण जनता अपनी इच्छानुसार मेहनत करके करेगी। अन्य प्रकार की सड़कें सरकार द्वारा बनवायी जाती है। यातायात में मानवीय श्रम की महत्ता एवं ग्रामीणों के सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है।

4. शिक्षा की व्यवस्था– जनपद के सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के प्रसार को भी स्थान दिया गया है। ग्रामीणों में निःशुल्क एवं अनिवार्य सामाजिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का विकास किया जाता है एवं लघु–ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु शिल्पकारों तथा दस्तकारों को आधुनिक विधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

5. स्वास्थ्य एवं ग्राम सफाई कार्य– स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में डिस्पेन्सिरियों और अस्पतालों को खोलना है। पशु चिकित्सालय भी बढ़ाये गये हैं। महामारियों जैसे मलेरिया, हैजा, तपेदिक आदि पर नियंत्रण भी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है। गांवों की सफाई व्यवस्था के लिए शौचालय बनवाने, पक्की नालियां बनवाने, गलियों को पक्की बनवाने, पीने के पानी के लिए कुएं बनवाने आदि कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

6. गृह निर्माण कार्य– जनपद के सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत गांव में अच्छे प्रकार के मकान बनवाने हेतु एवं शिक्षा का प्रबन्ध करना भी शामिल है। घनी बस्तियों में मकान बनवाने के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

7. समाज कल्याण के अन्य कार्य– सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत गांव की जनता के मनोरंजन एवं सामाजिक तथा नैतिक विकास हेतु फिल्म प्रदर्शन, खेल–कूद, दंगल और मेलों का भी प्रावधान होता है।

8. महिला कार्यक्रम– इस बदलते हुए युग में ग्रामों के उत्थान हेतु महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत महिला कैम्पों की योजना एवं महिला समितियां स्थापित करने का प्रावधान होता है।

9. प्रशिक्षण– कार्यक्रम की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। इस हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं:–

पुराने कारीगरों के स्तर सुधारने के लिए रिफ्रेशर कोर्स चलाना, कृषकों, कारीगरों, सुपरवाइजरों, प्रबन्ध कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा विस्तार अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है।

जनपद के ग्रामीणों सामुदायिक विकास कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्यों से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाये हैं। अतः विकास कार्यकर्ताओं, ग्रामवासियों में लोकप्रिय प्रंसगों, प्रतीकों के माध्यम से उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले बातों से पूर्णतः परिचित कराना चाहिए।

सामुदायिक विकास कार्यों की मन्द गति का एक कारण प्रशिक्षित व्यक्त्यिों का अभाव रहा है। इसके लिए विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

प्रत्येक ग्राम सेवक को दस गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र में विकास कार्यों को संचालित करना पड़ता है। विस्तृत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और सही ढंग से विकास कार्यों को सम्पन्न करना एवं लोगों का सहयोग प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। अतः विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए इनके कार्य को कम करना चाहिए।

ग्रामीण जनता को सामुदायिक कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपना कार्य समझना चाहिए। जनता के पर्याप्त सहयोग से ही देशव्यापी विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाना सम्भव है। विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही सही ढंग से प्रसारित किया जाय तथा इस हेतु जनपद में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो ग्रामीण जनता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित हो। सामुदायिक विकास संगठन और राज्य सरकार के विभिन्न विकास विभागों में उसी मात्रा में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय होना चाहिए, जिस मात्रा में कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। इससे विकास कार्यों में अपेक्षित मात्रा में सफलता मिल जायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अरोड़ा, उषा (1991), शिक्षा–नये आयाम, कुरूक्षेत्र (नवम्बर), ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, पृ0 421।
2. गुप्ता, राकेश कुमार (2000), लोदा जनपद का समन्वित क्षेत्रीय विकास, पी0–एच0डी0 शोध प्रबन्ध, पृ0 193।
3. गोसल, जी0एस0 (1958), लिटरेसी इन इण्डिया, एन इण्टरप्रेटेशन स्टडी, रूरल सोसियोलॉजी, 97029, कोटेड फ्राम सिंह, आ0, स्पेशियोंटेम्पोरल पैटर्न ऑफ लिटरेसी, ए सेम्पुल स्टडी ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, गोरखपुर, 970–31, सं0 1–2, पृ0 21।
4. चन्दाना, आ0सी0, एण्ड सिद्धू, एम0एस0 (1980), पापुलेशन ज्योग्राफी: कल्याणी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. त्यागी, हरीश (1994), शिक्षा और विकास योजना, नई दिल्ली, अंक 22, जनवरी, पृ0 19।
6. द्विवेदी, अखिलेश्वर कुमार (2004), जनपद बलिया उ0प्र0 के समन्वित ग्रामीण विकास में अवस्थापनात्मक तत्वों की भूमिका, पी0–एच0डी0 शोध प्रबन्ध, पृ0 101।

*****